अत्यावश्यक

पत्र संख्या–13/विविध–04/2016सा.................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
महानिदेशक, निगरानी, बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक मई, 2017

विषय :– सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रैप केसेज (घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :– मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग की गै.स.प्रे. सं.–1481/गो.मु.स. दिनांक 15.12.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की प्रत्येक माह की द्वितीय बुधवार को *अपराह्न 03.00 बजे से निर्धारित समीक्षात्मक बैठक के तुरंत बाद सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रैप केसेज पर भी अलग से एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित होगी जिसमें पुलिस महानिदेशक एवं निगरानी विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल रहेंगे ।* अगले माह की उक्त समीक्षात्मक बैठक दिनांक 14.06.2017 को निर्धारित है ।

अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित समेकित प्रतिवेदन के साथ, पूर्व प्रेषित विहित प्रपत्रों में ही, उक्त निर्धारित समीक्षात्मक बैठक में स्वयं अथवा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी सम्मिलित होने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–13/विविध–04/2016सा.......82......./पटना–15, दिनांक 29 मई, 2017

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं आई.टी. मैनेजर, ~~सामान्य~~ प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

29/5/17

सरकार के अवर सचिव ।